भारत सरकार
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2220
गुरुवार, दिनांक 04 जुलाई, 2019 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>प्राप्त किए गए नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य</u>

2220. डॉ॰ संजय जायसवालः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः
श्री सय्यद ईमत्याज ज़लीलः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार 2022 तक 175 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के 2015 में निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने हाल ही में उक्त लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्यों के साथ बैठक बुलाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा 2015 में तय किए गए लक्ष्य में से अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का राज्यों द्वारा लक्ष्य पूरा करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए बोली लगाने की कवायद में तेजी लाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए या उठाए जा रहे अन्य कदमों का ब्यौरा क्या है और इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है?

उत्तर
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा एवं विद्युत राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री आर. के. सिंह)

(क) और (ख): देश में वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की संस्थापना करने के लक्ष्य की तुलना में दिनांक 31 मई, 2019 की स्थिति के अनुसार कुल 80.04 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता की संस्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त 64.77 गीगावाट क्षमता की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं कार्यान्वयन अथवा बोली प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं।

(ग) नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा की संस्थापना में तेजी लाने में आ रही कठिनाइयों पर चर्चा करने हेतु 11 जून, 2019 को नई दिल्ली में माननीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री की अध्यक्षता में आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश,

गुजरात और राजस्थान जैसे अक्षय ऊर्जा संसाधन की प्रचुरता वाले राज्यों के अक्षय ऊर्जा के प्रभारी मंत्रियों की एक बैठक आयोजित की गई थी।

(घ) वर्ष 2022 तक 175 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता के लक्ष्य की तुलना में देश में दिनांक 31 मई, 2019 तक कुल 80.04 गीगावाट अक्षय ऊर्जा क्षमता संस्थापित की गई है।

(ङ) और (च): सरकार निर्धारित किए गए अक्षय ऊर्जा लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के आधार पर प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया के माध्यम से अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को आवंटित करने के लिए राज्यों को प्रोत्साहित करती है।

सरकार द्वारा देश में अक्षय ऊर्जा स्रोतों के विकास के लिए उठाए गए कदमों में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

- मार्च, 2022 तक चालू की जाने वाली परियोजनाओं के लिए सौर और पवन विद्युत के इंटर-स्टेट विक्रय हेतु इंटर-स्टेट पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्कों और नुकसानों को हटाना;
- ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की अनुमति देना;
- वितरण लाइसेंस धारक को किफायती तरीके से प्रतिस्पर्धी दरों पर सौर और पवन विद्युत की खरीद करने में समर्थ बनाने के लिए मानक बोली प्रक्रिया संबंधी दिशानिर्देशों को अधिसूचित करना;
- वर्ष 2022 तक अक्षय ऊर्जा खरीद बाध्यता (आरपीओ) के लिए ट्रैजेक्ट्री की घोषणा;
- वृहतस्तरीय अक्षय ऊर्जा क्षमता संयोजन के ग्रिड एकीकरण को सुगम बनाने के लिए हरित ऊर्जा कॉरिडोर परियोजना का कार्यान्वयन;
- सौर प्रकाशवोल्टीय प्रणालियों/उपकरणों की संस्थापना के लिए मानकों को अधिसूचित करना; और
- किसानों के लिए नई योजना, सीपीएसयू चरण-II और सौर रूफटॉप चरण-II कार्यक्रम आरंभ करना।

*****